न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 18/2015

उनवान

1. सांवलराम मीना पुत्र राजाराम जाति मीना निवासी ग्राम नीदडदा, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

वादी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी नीदडदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।
2. सरकार जरिये तहसीलदार,सवाई माधोपुर

–प्रतिवादीगण

वादपत्र इस्त करार हक एवं दुरूस्ती दन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,188, आर0टी0एक्ट

अभिभाषक :–1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील वादी
2. श्री गिरीश मीना वकील प्रतिवादी
2. श्री महावीर प्रसाद चोधरी पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांकः– 04.09.2018**

वादी द्वारा एक वादपत्र इस्त करार हक एवं दुरूस्ती दन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,188, आर0टी0एक्ट में पेश किया है। दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 1. वादी ग्राम नीदडदा तह0 व जिला सवाई माधोपुर का मूल निवासी व काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं 2. वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की की कृषि भूमि साबिक ख0नं0 518 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल वाके ग्राम नीदडदा तह0 व जिला सवाई माधोपुर के खाता संख्या 206 सम्वत् 2013 से 2016 की जमाबन्दी में इन्द्राज वादी के पिता राजाराम वल्द लाल जी कोम मीना सा0देस मु0 कदीम,नरसी वल्द जगन्नाथ ब्राहमण के नाम दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न पेश की है 3. वादी के स्वामित्व की कृषि भूमि के उत्तर में हाल खसरा 683 आशाराम पुत्र हीरालाल मीना पश्चिम में ख0नं0 675 शंकर पुत्र गणेश मीना के खेत है 4. प्रतिवादी सं0 1 मृतक भोरया व प्रभू पुत्र नरसिंह लाल का वारिस होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। मृतकगण व प्रतिवादी के पूर्वज चालाक किस्म के व्यक्ति थे जिन्होने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर हाल राजस्व रिकार्ड में से वादी का नाम ही हब्ज करवा दिया जिसकी वादी को जानकारी दिनांक 30.7.2015 को पटवारी हल्का के पास राजस्व अभिलेख देखने पर हुआ। 5. वर्तमान में भू.प्रबन्ध विभाग ने साबिवक ख0नं0 518 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के हाल नवीन ख0नं0 674 रकबा 0.34 है0 दर्ज किया है मिलान खसरा नं0 की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ पेश की है। 6. हाल ख0नं0 674 रकबा 0.34 है0 खाता संख्या 145 में अंकित कृषि भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ही मृतक भोरया,प्रभू पुत्र नरसिंह लाल जाति ब्राहमण के नाम दर्ज कर दी है जबकि मृतक भोरया व प्रभू का एक मात्र वारिस प्रतिवादी सं0 1 गांव में मौजूद होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं खाता संख्या 145 की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलगेन है। 7. राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति के नाम दर्ज खालेवारी की भूमि का इन्द्राज किसी भी स्वर्ण व्यक्ति के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हो सकती,जबकि हाल खसरा नं0 674 की भूमि में राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या एक के पूर्वज मृतक भोरया,प्रभू के नाम दर्ज कर दिया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण मृतक भोरया व प्रभू का नाम दर्ज है को अपास्त किया जाना आवश्यक है।, प्रतिवादी के नाम से हो रहे इन्द्राज को अपास्त किया जाना आवश्यक है। 8. वादी

सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर

का विवादित भूमि पर ख0नं0 518 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा पर वादी का अपने पूर्वजों के समय से शांतिपूर्वक भौतिक कब्जा कास्त चला आ रहा है। इसलिये वादी को कानूनन इस्तकरार हक प्राप्त है कि न्यायालय हाजा की शरण लेकर राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को अपास्त किया जाकर वादी को खातेदार कास्तकार की घोषणा करवाने का अधिकार प्राप्त हैं इसलिये न्यायालय की शरण लेकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। 9. विवादित भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं 10 तहसीलदार सवाई माधोपुर लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया जा रहा है। 11. वाद पत्र अन्दर म्याद एवं निर्धारित न्याय शुल्क 4/– रूपये पर पेश हैं 12. वाद पत्र वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें। अ– घोषणा इस्तकरार हक इस अमर की फरमाई जावें कि ग्राम नीदडदा तहसील सवाई माधोपुर में स्थित साबिक खसरा नं0 518 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जिसके हाल नवीन ख0नं0 674 रकबा 0.34 है0 पर वादी का पूर्वजों के समय से भौतिक कब्जा काश्त होने के कारण वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावें ब– साविक खसरा नं0 518 में दर्ज खातेदारी नरसी वल्द जगन्नाथ व हाल जमाबन्दी में भोरया व प्रभू पुत्र नरसिंह लाल जाति ब्राहमण के नाम का हो रहे इन्द्राज को अपास्त फरमाया जाकर वादी के नाम से खातेदारी में दर्ज किया जावें। स अन्य दादरसी जो भी मुफीद हो न्यायहित में वादी को दिलाई जावें।

प्रतिवादीगण दिनांक 10.12..2015 को जरिये वकील हाजिर अदालत आये व जवाब दावा पेश किया प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में वादपत्र में अंकित बिन्दु संख्या 1 लगायत 11 व 12 के मद नम्बर अ,ब व स में चाही गई दादरसी वादी के पक्ष में डिक्री जारी की जाती है तो मुझ प्रतिवादी को किसी तरह की आपत्ति नहीं होना अंकित किया। व जवाब दावे के विशेषे विवरण के बिन्दु संख्या (1) में अंकि किया कि साबिक ख0नं0 518 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के हाल नवीन ख0नं0 674 रकबा 0.34 है0पर वादी को ही पूर्वजों के समय से भौतिक कब्जा काश्त चल आ रहा है। राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज भोरया,प्रभू पुत्रान नरसिंह लाल ब्राहमण के नाम राजस्व कर्मचारियों ने गलत दर्ज किया है भोरया,प्रभू की मृत्यु 50 वर्ष पूर्व हो गई थी, मेरे अलावा मृतक भोरया व प्रभू का कोई वारिस भी नहीं है। मृतक मेरे खास ताउफ के लडके है। (2) हाल ख0नं0 में भोरया,प्रभू पुत्रान नरसिंह लाल के नाम को हकज किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है इसलिए वाद पत्र वादी डिक्री किया जावें। साथ ही निवेदन किया कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री कर दिया जावें मुझ प्रतिवादी को किसी तरह की आपत्ति नही है।

वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर दिनांक 12.12.2015 को राजीनामा पेश कर उक्त विवादित भूमि को वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को किसी तरह की आपत्ति नही राजीनामा की इबारत को पढकर सुनाई व सुनकर समझकर राजीनामा सही होना स्वीकार किया । वादी ने दिनांक 13.12.2015 को सरपंच ग्राम पंचायत नीदडदा पो0स0 सवाई माधोपुर द्वारा जारी किया हुआ है एवं जमाबन्दी सम्बवत 2021 से 2024 की व नामा0 संख्या 19 दिनांक 21.11.2065 की छाया प्रति पेश की है।

हमने वकील उभय पक्षो की बहस सुनी दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराये।एवं वकील प्रतिवादी ने वकील वादी के द्वारा कहे गये कथनो का कोई विरोध नही किया पेरोकार सरकार ने वादी वकील के कथनो का विरोध किया वह तहसीलदार द्वारा खोला गया नामान्तरकरण सही बताया क्योंकि कब्जा प्रतिवादी का होना सही है जो तत्समय की गिरदावरी से स्पष्ट हो जाता हैं ।

अतः विद्वान उभय पक्ष के वकीलो की बहस एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दावे के समर्थन राजस्व रिकार्डस व जवाब दावे का अध्ययन किया प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में भी दावे में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में भी दोनो पक्षो द्वारा विवादित भूमि वादी के दुरूस्ती इन्द्राज किया जाकर वादी को खातेदार घोषित करने में कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है।दावे में विवादित भूमि के वर्तमान खातेदार व उनके जायज वारिवानो को पक्षकार नही बनाया एवं जो

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

प्रतिवादी संख्या 1 मूलचन्द पुत्र रामप्रसाद ब्राहमण को पक्षकार बनाया है उसकी राजस्व चैन दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि में अंकित खातेदार भौरया प्रभू पि0 नरसिंह लाल ब्राह्मण के मात्र एक मूलचन्द पुत्र रामप्रसाद ब्राहमण वारिसान हैं। सरपंच का प्रमाण पत्र मूल पेश नही करने के फलस्वरूप इसकी पूर्ण सत्यता पर सन्देह प्रकट होता है। इसलिये वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनाम भी स्वीकार किये जाने में सन्देह है वादी द्वारा अपने साक्ष्य के समर्थन में न तो स्वयं वादी को और नही किसी साक्ष्य को परीक्षित कराया हैं ऐसी स्थिति में वादी अपने वाद को प्रमाणित करने में असफल रहा हैं ।

अतः वादी का वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । निर्णय आज दिनांक 04.09..2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

(अन्जु शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर